

159854 - वह पश्चिम के देश में पढ़ाई करता है, तो क्या वह वहाँ कुर्बानी करे या किसी को वकील बना दे जो उसकी ओर से उसके देश में कुर्बानी करे?

प्रश्न

मैं पश्चिम के एक देश में एक छात्र हूँ और एक ऐसे शहर में निवास करता हूँ जिसमें एक थोड़ी संख्या के अलावा कोई इस्लामी समुदाय नहीं है, और मैं उनमें से किसी को नहीं जानता जो गरीब हो और कुर्बानी के गोश्त का ज़रूरतमंद हो। तो क्या बेहतर यह है कि मैं पढ़ाई के देश में कुर्बानी करूँ या अपने मूल देश में किसी को वकील बना दूँ जो मेरी ओर से कुर्बानी करे?

विस्तृत उत्तर

उत्तर :

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

धर्म संगत यह है कि कुर्बानी, कुर्बानी करने वाले के स्थान पर होनी चाहिए। जिस तरह कि यह धर्म संगत है कि कुर्बानी करनेवाला अपने कुर्बानी के जानवर को स्वयं ज़बह करे और उससे खाए। कुर्बानी का उद्देश्य मात्र गोश्त नहीं है, बल्कि उसका मक्कसद इस धर्मकाण्ड और धार्मिक कृत्य का प्रदर्शन करना है।

शैख सालेह अल-फौज़ान हफिज़हुल्लाह ने फरमाया :

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुर्बानी और अक्कीक़ा के जानवर को मदीना में अपने घर में ज़बह करते थे, उन्हें मक्का नहीं भेजते थे, हालाँकि वह मदीना से बेहतर है, और उसमें ऐसे गरीब लोग थे जो हो सकता है मदीना के गरीबों से अधिक ज़रूरतमंद रहे हों। इसके बावजूद आप ने उस स्थान की पाबंदी की जिसके अंदर अल्लाह ने इबादत की अदायगी करना निर्धारित किया है। चुनाँचे आप ने हज्ज की कुर्बानी के जानवर (हदी) को मदीना में नहीं ज़बह किया, और न तो अक्कीक़ा और कुर्बानी के जानवर को मक्का भेजा, बल्कि हर प्रकार के जानवर को उसके उस स्थान पर ज़बह किया जिसमें उसे ज़बह करना धर्मसंगत है।” और सबसे श्रेष्ठ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तरीका है, और सबसे बुरा मामला नयी अविष्कार कर ली गई चीज़ें (नवाचार) हैं, और हर बिदअत (नवाचार) पथभ्रष्टता है।”

“अल-मुन्तक़ा मिन फतावा अल-फौज़ान” (10/50) से साप्त हुआ।

यही मूल सिद्धांत है : कि कुर्बानी करनेवाला अपने उस स्थान में कुर्बानी करे जिसमें वह उपस्थिति है, और किसी को अपनी ओर से किसी दूसरे देश में वकील न बनाए।

किंतु . . यदि कुर्बानी करनेवाला एक देश में है, और उसका परिवार किसी दूसरे देश में है, तो अगर वह दो जानवर ज़बीहा पेश कर सकता है, एक अपने देश में, और दूसरा अपने परिवार के पास, तो यही सर्वश्रेष्ठ है। यदि वह इसमें सक्षम नहीं है तो उसके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है कि वह अपने परिवार के पास पैसे भेज दे ताकि वे उसकी ओर से अपने देश में कुर्बानी करें।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया :

वह व्यक्ति जो अपने देश से दूर इस देश में आया है, और उसके वहाँ बाल बच्चे हैं, और वे लोग यहाँ से अधिक ज़रूरतमंद हैं, क्या उसके लिए बेहतर यह है कि वह अपने कुर्बानी के जानवर को यहाँ ज़बह करे या उन्हें पैसे भेज दे ताकि वे इसकी ओर से कुर्बानी करें? और आप, अल्लाह आपको तौफीक प्रदान करे, कुछ मुसलमान देशों में सख्त ज़रूरत को जानते हैं।

तो उन्होंने उत्तर दिया : मैं इस स्थिति में यह उचित समझता हूँ कि वह यहाँ और वहाँ दोनों जगह कुर्बानी करे। अगर वह इसमें सक्षम नहीं है तो वहाँ कुर्बानी करे ताकि उसके घर वाले इन शुभ दिनों में कुर्बानी से लाभान्वित हो सकें।''

''अल्लिक्रा अश्शहरी'' (1/440) से समाप्त हुआ।

तथा उनसे यह भी प्रश्न किया गया कि :

हम इस देश के नहीं हैं, और आपके ऊपर यह बात रहस्य नहीं है कि हमारे घर वाले कुर्बानी और उसके गोश्त तथा चमड़े से लाभ उठाने के सबसे अधिक ज़रूरतमंद हैं, और आमतौर पर वे गरीबी से पीड़ित होते हैं, तो क्या हमारे लिए संभव है कि हम उनके पास कुर्बानी के जानवर की क़ीमत भेज दें और किसी को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील बना दें, जबकि ज़ात रहे कि इसका मक्सद इस धार्मिक कृत्य (अनुष्ठान) का प्रदर्शन करना है?

तो उन्होंने उत्तर दिया :

''यदि इन्सान किसी देश में है और उसके घर-परिवार वाले दूसरे देश में हैं, तो उसके ऊपर कोई आपत्ति की बात नहीं है कि वह किसी को वकील बना दे जो उसके परिवार वालों के पास उसकी ओर से कुर्बानी करे ताकि उसके परिवार वाले कुर्बानी से खुशी का अनुभव करें और उससे लाभ उठा सकें ; क्योंकि अगर उसने परदेश में कुर्बानी की, तो कुर्बानी के गोश्त को कौन खाएगा? संभावित है कि वह किसी को न पाए जिसे दान कर सके। इसलिए हम उचित समझते हैं कि जिसके घर-परिवार वाले हैं वह कुर्बानी के जानवर की क़ीमत को अपने घर वालों के पास भेज दे और वे लोग वहाँ कुर्बानी करें।''

अल्लिक्रा अश्शहरी'' (2/306) से समाप्त हुआ।